



Neutral Citation No. – 2026:AHC:13643

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट याचिका संख्या 2810, वर्ष 1993

भूरा और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, इलाहाबाद और अन्य

.....उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील

: दिनेश कुमार मिश्रा, महेश कुमार दुबे,
महेश शर्मा, प्रवीण कुमार शुक्ला, श्रवण
कुमार श्रीवास्तव, सैयद सफदर अली
काजमी, उमेश सिंह, विनोद सिन्हा

प्रतिवादी के वकील

: एससी, सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

प्रिण्ट: नागरिक विविध पक्षकार नियुक्ति आवेदन संख्या 153746 वर्ष 2012

1. भजन लाल और छह अन्य लोगों की ओर से यह आवेदन रिट याचिका में उन्हें याचिकाकर्ता के रूप में शामिल करने के लिए दायर किया गया है।
2. इस आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए कोई उपस्थित नहीं है।
3. याचिकाकर्ताओं को याचिकाकर्ताओं के रूप में रिट याचिका में शामिल नहीं किया जा सकता है, बल्कि यदि उनके अधिकार और स्वामित्व को प्रभावित करने वाला कोई आदेश पारित किया गया है तो वे अपनी अलग याचिका दायर कर सकते हैं।
4. तदनुसार पक्षकार बनाने का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

विषय: नागरिक विविध विलंब क्षमादान आवेदन संख्या 11 वर्ष 2025 और सिविल विविध प्रतिस्थापन आवेदन संख्या 12 वर्ष 2025

1. याचिकाकर्ताओं-आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी गई।
2. मृतक याचिकाकर्ता संख्या 2 के संबंध में तत्काल प्रतिस्थापन आवेदन, विलंब क्षमादान के आवेदन के साथ दायर किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि मृतक शब्द को प्रतिस्थापित किया जाए। याचिकाकर्ता संख्या 2 के नाम के सामने उल्लेख किया गया है और यह ध्यान दिया जाए कि याचिकाकर्ता संख्या 2 के वारिस पहले से ही याचिकाकर्ता संख्या 1 के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज हैं।
3. याचिकाकर्ता संख्या 2 के नाम के आगे "मृतक" शब्द का उल्लेख किया जाए, और यह ध्यान दिया जाए कि याचिकाकर्ता संख्या 2 का कानूनी उत्तराधिकारी पहले से ही याचिकाकर्ता संख्या 1 के रूप में दर्ज है।
4. तदनुसार आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

रिट याचिका पर आदेश

1. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मिश्रा, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी और ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह की दलीलें सुनीं।
2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं को प्लॉट संख्या 214 के संबंध में कृषि पट्टा दिया गया था। दिनांक 24.04.2025 के पूरक हलफनामे के साथ जेडए फॉर्म संख्या 57-खा और सीएच फॉर्म संख्या 45 की प्रतियां संलग्न हैं। सीएच फॉर्म संख्या 45 से पता चलता है कि अभिलेखों में प्लॉट संख्या 214 नवीन पार्टी के रूप में दर्ज था। प्लॉट संख्या 112, जो पोखर के रूप में दर्ज था, मुंशी और राम सिंह को आवंटित किया गया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 (जिसे आगे यूपीजेडए एवं एलआर अधिनियम कहा गया है) की धारा 198(4) के तहत रद्द करने की कार्यवाही शुरू की गई और बुलंदशहर के अतिरिक्त कलेक्टर ने दिनांक 20 फरवरी, 1979 के आदेश द्वारा पोखर के रूप में दर्ज प्लॉट संख्या 112 और पोखर के रूप में दर्ज न किए गए प्लॉट संख्या 214 के संबंध में आवंटन रद्द कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने 20

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

फरवरी, 1979 के आदेश को मेरठ डिवीजन के आयुक्त मेरठ के समक्ष पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से चुनौती दी, जिसे अतिरिक्त आयुक्त ने 16.10.1981 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने बुलंदशहर के अतिरिक्त कलेक्टर और मेरठ डिवीजन के अतिरिक्त आयुक्त मेरठ के आदेश को राजस्व बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से चुनौती दी, जिसे राजस्व बोर्ड ने 18.11.1992 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। अतः, याचिकाकर्ताओं की ओर से निम्नलिखित राहत के लिए यह रिट याचिका दायर की गई है:

- "क. दिनांक 18.11.1992, 16.10.1981 और 20.2.1979 के आदेशों को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति का रिट आदेश या निर्देश जारी करें।"*
- b. विपक्षी पक्ष संख्या 1, 2 और 3 को उनके विवादित आदेशों को लागू न करने का आदेश देने के लिए परमादेश याचिका जारी की जाए।*
- c. इस न्यायालय द्वारा न्याय के हित में उचित और उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी प्रकार के अन्य आदेश या निर्देश जारी किए जाएं।*
- d. याचिकाकर्ताओं को रिट याचिका की लागत का भुगतान करने का आदेश दिया जाए।*

3. इस न्यायालय ने 28.01.1993 को इस मामले पर सुनवाई की और राजस्व प्राधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं को विवादित भूखंड से वेदखल करने पर रोक लगाते हुए अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

4. राज्य और ग्राम सभा द्वारा पिछले 32 वर्षों से अधिक समय से कोई प्रतिवाद हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है, इसलिए याचिका पर योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं को विवादित भूखंड का आवंटन सही था, जिसे राजस्व अभिलेख में नवीन पार्टी के रूप में दर्ज किया गया था। उन्होंने यह दर्शाने के लिए जेडए फॉर्म संख्या 57-खा प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को राम दयाल के साथ उक्त पट्टा दिया गया था, लेकिन भूखंड संख्या 214 के संबंध में राम दयाल का पट्टा बरकरार रखा गया है और याचिकाकर्ताओं का पट्टा रद्द कर दिया गया है। उन्होंने दिनांक 24.04.2025 के पूरक हलफनामे के साथ संलग्न सीएच फॉर्म संख्या 45 प्रस्तुत किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि भूखंड संख्या 214 नवीन पार्टी के रूप में दर्ज था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं का पट्टा

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

मनमाने ढंग से रद्द कर दिया गया है, यह पाते हुए कि एक अन्य भूखंड संख्या 112 पोखर के रूप में दर्ज था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं का भूखंड पोखर के रूप में दर्ज नहीं था, इसलिए अतिरिक्त कलेक्टर, बुलंदशहर द्वारा दूसरे भूखंड संख्या 112 के संबंध में दिए गए तर्क के आधार पर याचिकाकर्ताओं का पट्टा रद्द नहीं किया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के नाम पर कोई भूमि दर्ज थी, जिससे उनके पक्ष में कृषि पट्टा निष्पादित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को भी अतिरिक्त आयुक्त, मेरठ मंडल, मेरठ और राजस्व बोर्ड ने याचिकाकर्ताओं के मामले पर कानून के अनुसार विचार किए बिना मनमाने ढंग से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए प्लॉट संख्या 214 और इस प्लॉट संख्या 214 के संबंध में याचिकाकर्ताओं के नाम पर तैयार किए गए जेडए फॉर्म संख्या 57-खा के आधार पर, विवादित आदेश विधि की दृष्टि से मान्य नहीं है। उन्होंने निवेदन किया कि इस न्यायालय ने अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है और याचिकाकर्ता अभी भी विवादित प्लॉट पर कब्जा बनाए हुए हैं, इसलिए विवादित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और प्रश्नगत प्लॉट के संबंध में याचिकाकर्ताओं के दर्ज किए गए दस्तावेज़ को बरकरार रखा जाना चाहिए।

6. दूसरी ओर, राज्य प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील श्री राजेश कुमार तिवारी और ग्राम सभा की ओर से विद्वान वकील श्री सुनील कुमार सिंह ने प्रस्तुत किया कि बुलंदशहर के अतिरिक्त कलेक्टर ने भी याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता पट्टे के लिए पात्र नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कृषि पट्टा प्रदान करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, इसलिए बुलंदशहर के अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा प्लॉट संख्या 214 के संबंध में याचिकाकर्ताओं का पट्टा रद्द करने के आदेश में कोई अवैधता नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मेरठ मंडल के अतिरिक्त आयुक्त ने भी यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि याचिकाकर्ताओं ने अपने पक्ष में कृषि पट्टा निष्पादन का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए मेरठ मंडल के अतिरिक्त आयुक्त ने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। उन्होंने आगे कहा कि राजस्व बोर्ड ने भी याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है, इसलिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

7. मैंने दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

8. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि 1976 में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में प्लॉट संख्या 214 के संबंध में निष्पादित कृषि पट्टा बुलंदशहर के अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा रद्द कर दिया गया था और इस आदेश को मेरठ मंडल के अतिरिक्त आयुक्त और राजस्व बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण के लिए बरकरार रखा गया था।

9. जेडए फॉर्म संख्या 57-खा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ताओं को राम दयाल के साथ प्राधिकरण द्वारा 14.11.1976 को प्लॉट संख्या 214 आवंटित किया गया था। दिनांक 24.04.2025 के पूरक हलफनामे के साथ संलग्न सीएच फॉर्म संख्या 45 से पता चलता है कि प्लॉट संख्या 214 नवीन पार्टी के रूप में दर्ज किया गया था।

10. राज्य और ग्राम सभा की ओर से कोई प्रतिवाद हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है जिसमें यह दर्ज किया गया हो कि याचिकाकर्ता आवंटन के पात्र नहीं थे और विचाराधीन भूखंड नवीन पार्टी के रूप में दर्ज नहीं था। याचिका में किए गए कथन का कोई खंडन नहीं है, इसलिए प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा दिया गया ऐसा तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।

11. बुलंदशहर के अतिरिक्त कलेक्टर ने राम दयाल के उसी भूखंड संख्या 214 के कृषि पट्टे को बरकरार रखा है, जिसे उसी जेडए फॉर्म 57-खा के तहत कृषि पट्टा दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं के भूखंड संख्या 214 के पट्टे को इस गलत आधार पर रद्द कर दिया कि याचिकाकर्ता पात्र नहीं थे और पट्टे के निष्पादन का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि अधिकार क्षेत्र का अवैध प्रयोग है।

12. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, इलाहाबाद स्थित प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 18.11.1992 को पारित आदेश, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 16.10.1981 को पारित आदेश, मेरठ मंडल, मेरठ स्थित अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिनांक 20.02.1979 को पारित आदेश, और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 20.02.1979 को पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं और इन्हें निरस्त किया जाता है।

13. याचिका स्वीकार की जाती है। अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित भूखंड की प्रविष्टि को तत्काल ठीक करें।

14. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

19 जनवरी, 2026

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"